**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1558**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**‘पेट्रोनेट’ द्वारा किया गया सहमति ज्ञापन**

**1558. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘पेट्रोनेट’ ने फरवरी और सितम्बर, 2019 में दो बार अमरीकी कंपनी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों के बीच संपन्न हुए सहमति ज्ञापन के बावजूद दोनों के बीच अभी तक अंतिम करार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)  से (घ) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), एक गैर सरकारी कंपनी ने आरंभ में दिनाँक 14 फरवरी 2019 को मैसर्स टैलुरियन इंक के साथ एक गैर-अबाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे जिसकी अवधि दिनाँक 30 जून 2019 को हो गई थी। उक्त के अनुक्रम में, दिनाँक 21 सितंबर 2019 को विस्तारित शर्तों के साथ मैसर्स टैलुरियन इंक, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) में ड्रिफ्टवुड एलएनजी टर्मिनल विकसित कर रहा है, के साथ एक अबाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर पुन: हस्ताक्षर किए गए थे, पीएलएल ने सूचित किया है कि पीएलएल और टैलुरियन इंक के बीच हस्ताक्षर किए गए एमओयू को अंतिम करार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

\*\*\*\*\*